HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (ज़िला):** FARIDABAD **P.S. (थाना):** SURAJ KUND **Year (वर्ष):** 2023

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0224 **Date (दिनांक):** 23/03/2023 19:20

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	THE PUNJAB LAND AND PRESERVATION ACT 1900 (Amendment)	19
2	THE PUNJAB LAND AND PRESERVATION ACT 1900 (Amendment)	4
3	THE PUNJAB LAND AND PRESERVATION ACT 1900 (Amendment)	5
4	IPC 1860	188

3. **(a)** **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 23/03/2023 **Time (समय):** 19:20 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 033 **Time (समय):** 23/03/2023 19:24 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** EAST, 3 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): अनंगपुर फरीदाबाद,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): नवीन कुमार वन रक्षक इंचार्ज

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1993 **(d) Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Occupation (व्यवसाय):

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	सूरजकुंड बीट, SURAJ KUND, FARIDABAD, HARYANA, INDIA

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

2	Permanent Address	सूरजकुंड बीट, SURAJ KUND, FARIDABAD, HARYANA, INDIA

(i) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):**

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)
1	सुन्दर		Father's Name: नारायण सिंह
2	विवेक		Father's Name: महेन्द्रप्रताप

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Sub Type (उप प्रकार)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

सेवा में, वन राजिक अधिकारी, फरीदाबाद । विषय:- अनंगपुर पी०एल०पी०ए० 1900 की धारा 4 व 5 व अरावली पौधारोपण के प्रतिबन्धित वनक्षेत्र में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई करवाना, पेड़ों को आग लगाना, माईनिंग करना, अवैध रूप से मिट्टी डलवाकर लेवलिंग करना, अवैध अतिक्रमण करना, अवैध बोरवेल करके कब्जा करने की मंशा रखना व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पारित आदेशों की उल्लंघना करने पर एफ0आई0आर0 दर्ज करवाने हेतू। उपरोक्त विषय के संबंध में आपको अवगत कराया जाता है कि आज दिनांक 10:03.2023 को मेरे द्वारा अरावली टास्क फॉर्स की टीम श्री सोमदत्त वन दरोगा, श्री विजयकुमार वन रक्षक व श्री हरदेव ड्राईवर के साथ सुरजकुंड बीट की गस्त की गई। गस्त के दौरान जैसे ही टीम अनंगपुर चौक से डैथवली के रास्ते पर गये तो हमने अनंगपुर पी०एल०पी०ए० 1900 की धारा 4 व 5 के खसरा नं0 58 में पुराने बने फार्म हाउस में पाया कि दोषिगणों द्वारा वहाँ पर अवैध कब्जा बरकरार रखने की मन्शा से 37 अण्डरसाईज मस्कट, 5 अण्डर साईज घौक के पेड़ों की कटाई करवाई हुई है व इस जमीन के साफ करने की मंशा से हर्व एण्ड सर्वस तथा छोटे पेडों को कटवाकर जगह-2 पर अवैध रूप से आग लगाई हुई मिली व फार्म हाउस में अवैध मिटटी डलवाकर जे०सी०बी० की सहायता से लैवलिंग का कार्य किया हुआ मिला तथा मौके पर एक फार्मट्रक 45 ट्रैक्टर-ट्रॉली भी खड़े मिले। मौके पर अवैध रूप से माईनिंग करवाकर अवैध अतिक्रमण गेट के साथ से पत्थरों का रास्ता बनाया हुआ पाया। मौके पर अवैध बारेवल भी किया हुआ पाया। मौका पर हुए नुकसान बाबत हमने थाना सूरजकुंड फरीदाबाद को सूचना दी जिसपर श्री गुलशन कुमार एस०आई० व पुलिस विभाग के अन्य स्टाफ को मौका मुआयना करवाया गया व वहाँ पर रह रही लेवर तिलक सिंह पुत्र हरवन्स निवासी अलिगढ तथा उसकी पत्नी से पूछताछ की गई तो उन्होने बताया कि यह फार्म सुन्दर भाई का है, हम यहाँ पर रहकर उनकी गाय की देखरेख करते हैं। तिलक की पत्नी द्वारा सुन्दर के पास में फोन करके सूचना दी की यहाँ पर पुलिस विभाग व वन विभाग के कर्मचारी आये हैं जिससे स्पष्ट है कि ये लेवर वहाँ पर केवल सरकारी अधिकारी / कर्मचारियों के आने की सूचना देने के लिए रखे हुए हैं क्योंकि जब लेवर का फोन चैक किया गया तो पाया कि लेवर ने सुन्दर को हमारी सूचना पहले ही दे दी है इससे स्पष्ट है कि अवैध कब्जा करवाने में सुन्दर शामिल है। मौका के फोटोग्राफस लिये गये व विडियों बनाई गई जो साथ सलग्न है। अवैध कब्जे बाबत तफशीश की गई तो पता चला कि यह फार्म 1 सुन्दर पुत्र नारायण सिंह निवासी डोमका मोहल्ला अनगपुर फरीदाबाद 2. विवेक पुत्र महेन्द्रप्रताप, निवासी सैनिक कॉलोनी फरीदाबाद का बताया जा रहा है। दोषिगण सरेआम अवैध पेड़ों की कटाई, अवैध माईनिंग, अवैध रूप से पेड़ों को आग लगाना, जमीन की लेवलिंग

करवाकर अवैध रूप से कब्जा बरकरार कर रहे हैं। मौका हालात से स्पष्ट प्रतीत है कि दोषिगण संबंधिंत जमीन को कब्जाना चाहते हैं। मौका पर 11819 स्क्वायरमीटर वनक्षेत्र पर गैर-वानिकी कार्य को अन्जाम दिया गया है व कब्जा दस्तूर जारी है। आपको अवगत कराया जाता है कि मौका पर पी०एल०पी०ए० 1900 की धारा 4 व 5 लागू होती है जिसमें किसी भी प्रकार का गैर-वानिकी कार्य करने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्णताः प्रतिबन्ध लगाया हुआ है। अतः दोषियों द्वारा गैर-वानिकी कार्य करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पारित आदेशों की उल्लंघना की हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि दोषियों के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करवाकर कानूनी कार्यवाही करवाने व उक्त अवैध कब्जे को रुकवाने का कष्ट करें ताकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों पालना की जा सके। यह रिपोर्ट आपकी सेवा में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है। सलग्न- 1 नोटिफिकेशन की प्रति 2 फोटोग्राफस व विडियों की सी०डी० ।, 3. 65 बी. एविडेंस एक्ट सर्टिफिकेट। SD/- NAVEEN KUMAR 10.3.23, नवीन कुमार वन रक्षक इंचार्ज सूरजकुंड बीट पृ०क्रमांक:- 874 दिनांक:- 20-03-2023. इसकी एक प्रति निम्न को- 1. इसकी एक प्रति थाना सूरजकुंड को भेजकर अनुरोध किया जाता है कि उक्त विषय के संबंध में एफ0आई0आर0 दर्ज करके दोषियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने का कष्ट करें। 2. इसकी एक प्रति उप वन संरक्षक फरीदाबाद को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है। SD/- वन राजिक अधिकारी (क्षेत्रीय), फरीदाबाद। अज थाना- एक परिवाद वन राजिक अधिकारी फरीदाबाद से थाना पर प्राप्त हुई जो परिवाद के अवलोकन से जुर्म जैर धारा 188 भा.द.स. व 4,5,19 PLP ACT का सरजद होना पाया जाने पर मुकदमा न. 224 दिनांक 23.03.2023 धारा 188 भा.द.स. व 4,5,19 PLP ACT थाना सुरजकुण्ड जिला फरीदाबाद मे दर्ज रजिस्टर किया जाकर FIR की प्रतियां कम्पयुटर द्वारा तैयार करके ईलाका मैजिस्टैट साहब व सम्बन्धित अफसरान बाला कि सेवा मे बजरिया डाक भेजी जा रही है । नकल मिशल पुलिस मय असल परिवाद के थाना मे रखी गई। मुकदमा हजा मे आगामी अनुसंधान हेतु अनुसंधान अधिकारी मन स.उप.नि. गुलशन कुमार 1792/फरी. थाना सुरजकुण्ड फरीदाबाद मो.न. 9999282929 को नियुक्त किया गया है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): **Rank (पद):** Assistant Sub-Inspector (ASI) **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):**
GULSHAN KUMAR

No. (सं.): 1792 **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

Directed (Mobile No. of I.O.) (जांच अधिकारी का मोबाइल नंबर): 919999282929

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **District (ज़िला):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): BALRAJ SINGH

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): A37

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1988				**Is pox pitted:** Yes
2	Male	1988				**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)